प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या –295 / 2023

अनवान : –

1. प्रदीप कुमार पुत्र स्व0 रामेश्वरलाल जाति ब्राहमण (जोशी) साकिन किंकरालिया तहसील रावतसर हाल आबाद वार्ड स0 22 नोहर तहसील नोहर।

– **वादी**

बनाम्

1. संजय कुमार पुत्र स्व0 रामेश्वरलाल जाति ब्राहमण (जोशी) साकिन किंकरालिया तहसील रावतसर हाल आबाद वार्ड स0 22 नोहर तहसील नोहर।
2. कृष्णा देवी पत्नी स्व0 रामेश्वरलाल जाति ब्राहमण (जोशी) साकिन किंकरालिया तहसील रावतसर हाल आबाद वार्ड स0 22 नोहर तहसील नोहर।
3. कंचन शर्मा पुत्री स्व0 रामेश्वरलाल पत्नी दिनेश कुमार शर्मा जाति ब्राहमण साकिन 57, ए राममंदिर के पिछे , 22 गोदाम हवा सड़क जयपुर।
4. अंजु पंचारिया पुत्री स्व रामेश्वरलाल पत्नी अशोक पंचारिया जाति ब्राहमण निवासी नया शहर पुलिस थाना के सामने बीकानेर तहसील व जिला बीकानेर।
5. रिम्पी उपाध्याय पुत्री स्व0 रामेश्वरलाल पत्नी मनीष कुमार उपाध्याय जाति ब्राहमण निवासी राजपुताना मेटल वर्क्स के सामने प्रथम बी रोड़ सरदारपुरा जोधपुर।
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 89

उपस्थिति :– श्री रविन्द्र गोदारा अधिवक्ता **वादी**

निर्णय **दिनांकः** 12/5/23

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 89 के तहत इस आशय का पेश किया गया की वादी व प्रतिवादीगण स0 1, 3 ता 5 के पिता व प्रतिवादीया स0 2 के पति स्व0 रामेश्वरलाल के नाम रोही मौजा चक 6 बारानी पटवार हल्का पिचकराई के खाता स0 461 / 456 की कुल 8.9070 हैक्ट भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उपरोक्त भूमि वादी के पिता की की स्वयं की खरीदशुदा भूमि थी वादी के पिता का देहवासन दिनांक 15.09.2020 को हो गया व उनके कुल 6 वारिसान वादी एवं प्रतिवादीगण स0 1 ता 5 है जो की उक्त वाद भूमि के बहिब के खातेदार काश्तकार हुए। वादी व प्रतिवादीगण वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने के कानूनी अधिकारी है।

वादी के पिता की फौतदगी के बाद उक्त वाद भूमि का वादी व प्रतिवादीगण ने बाहमी बंटवारा कर लिया था। मुताबिक बाहमी बटवारा अपने हक हिस्सा अनुसार ही काश्त करते आ रहे है जो कि निम्न प्रकार से है:–

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:18:34 IST
Reason: SelfAttested

1. वादी व प्रतिवादी स0 5 रिम्पी के पास :– रोही मौजा चक 6 बारानी तहसील नोहर के खाता स0 461/450 के प0न0 306/419 के मु0न0 356 के किला न0 3/2, 4/2, 5/2, 6 ता 8 व 13 ता 18 की कुल 2.9610 हैक्ट भूमि के बहिब के खातेदार काश्तकार रहेगे।

2. प्रतिवादी स0 1 ता 3 व 4 के पास :– रोही मौजा चक 6 बारानी तहसील नोहर के खाता स0 461/450 के प0न0 307/419 के मु0न0 357 के किला न0 1/2, 2/2, 3/2, 4/2, 5/2 व 6 ता 20 व 22 ता 25 की 5.9460 हैक्ट भूमि के बहिब के खातेदार काश्तकार रहेगे। इसी अनुसार वादी न्यायालय से घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है एवं जमाबंदी में मृतक रामेश्वर प्रसाद का नाम कलमजन करवा पाने के अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा की वादी के हक हिस्सा को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक तो आजकल आजकल करते रहे किन्तु अंत में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है। वादी का वाद डिक्री फरमावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीगण स0 1 ता 5 की तरफ से उनके अधिवक्ता ने जवाब दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी डिक्री फरमाया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई एतराज नही है।

प्रकरण में प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 का जरिये अधिवक्ता, वादी के वाद को स्वीकार करते हुए जवाब दावा मजमें आम में होने के कारण अन्य किसी कार्यवाही की आवश्यकता नही रही।

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023 में पेश हुई वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की प्रकरण में प्रतिवादीगण स0 1 ता 5 ने वादी के वाद को स्वीकार करते हुए जवाब दावा पेश हो चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही हैं। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

हमने उभयपक्षों को सुना, पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार वादी व प्रतिवादीगण स0 1, 3 ता 5 के पिता व प्रतिवादीया स0 2 के पति स्व0 रामेश्वरलाल के नाम रोही मौजा चक 6 बारानी पटवार हल्का पिचकराई के खाता स0 461/456 की कुल 8. 9070 हैक्ट भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त वाद भूमि प्रस्तुत दस्तावेजात से हिन्दु परिवार की साझाा आय से अर्जित पैतृक दादालाई कृषि भूमि होना साबित है। वादी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र एवं पत्रावली में दर्शायें गये सजरा खानदान के अलावा मृतक रामेश्वरप्रसाद पुत्र बद्रीप्रसाद के अन्य कोई भी वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। प्रतिवादीगण स0 1 ता 5 के अधिवक्ता द्वारा जवाब दावा पेश किया गया है कि वाद वादी डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण स0 1 ता 5 को कोई एतराज नही है। अतः वादी के वाद को प्रतिवादीगण स0 1 ता 5 के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत स[illegible] के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:18:34 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी प्रतिवादीगण की सहमति एवं वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 6 बारानी तहसील नोहर के खाता स0 461/450 के प0न0 306/419 के मु0न0 356 के किला न0 3/2, 4/2, 5/2, 6 ता 8 व 13 ता 18 की कुल 2.9610 हैक्ट भूमि का वादी एवं प्रतिवादी स0 5 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं रोही मौजा चक 6 बारानी तहसील नोहर के खाता स0 461/450 के प0न0 307/419 के मु0न0 357 के किला न0 1/2, 2/2, 3/2, 4/2, 5/2 व 6 ता 20 व 22 ता 25 की 5.9460 हैक्ट भूमि के प्रतिवादी स0 1 ता 4 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है एवं खाता स0 461/450 की कुल 8.9070 हैक भूमि में मृतक रामेश्वर प्रसाद का नाम कलमजन किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 12/5/23 को प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष – 2023 में मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट–श्योरानी

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:18:34 IST
Reason: SelfAttested

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023
पर्चा डिक्री
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

अनवान : – 295/2023

1. प्रदीप कुमार पुत्र स्व0 रामेश्वरलाल जाति ब्राहमण (जोशी) साकिन किंकरालिया तहसील रावतसर हाल आबाद वार्ड स0 22 नोहर तहसील नोहर।

– **वादी**

बनाम्

1. संजय कुमार पुत्र स्व0 रामेश्वरलाल जाति ब्राहमण (जोशी) साकिन किंकरालिया तहसील रावतसर हाल आबाद वार्ड स0 22 नोहर तहसील नोहर।
2. कृष्णा देवी पत्नी स्व0 रामेश्वरलाल जाति ब्राहमण (जोशी) साकिन किंकरालिया तहसील रावतसर हाल आबाद वार्ड स0 22 नोहर तहसील नोहर।
3. कंचन शर्मा पुत्री स्व0 रामेश्वरलाल पत्नी दिनेश कुमार शर्मा जाति ब्राहमण साकिन 57, ए राममंदिर के पिछे , 22 गोदाम हवा सड़क जयपुर।
4. अंजु पंचारिया पुत्री स्व रामेश्वरलाल पत्नी अशोक पंचारिया जाति ब्राहमण निवासी नया शहर पुलिस थाना के सामने बीकानेर तहसील व जिला बीकानेर।
5. रिम्पी उपाध्याय पुत्री स्व0 रामेश्वरलाल पत्नी मनीष कुमार उपाध्याय जाति ब्राहमण निवासी राजपुताना मेटल वर्क्स के सामने प्रथम बी रोड़ सरदारपुरा जोधपुर।
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

आज यह वाद प्रशासन गांव के संग अभियान – 2023 कैम्प में मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्षों की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं आपसी सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 6 बारानी तहसील नोहर के खाता स0 461/450 के प0न0 306/419 के मु0न0 356 के किला न0 3/2, 4/2, 5/2, 6 ता 8 व 13 ता 18 की कुल 2.9610 हैक्ट भूमि का वादी एवं प्रतिवादी स0 5 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं रोही मौजा चक 6 बारानी तहसील नोहर के खाता स0 461/450 के प0न0 307/419 के मु0न0 357 के किला न0 1/2, 2/2, 3/2, 4/2, 5/2 व 6 ता 20 व 22 ता 25 की 5.9460 हैक्ट भूमि के प्रतिवादी स0 1 ता 4 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है एवं खाता स0 461/450 की कुल 8.9070 हैक भूमि में मृतक रामेश्वर प्रसाद का नाम कलमजन किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 12/5/23 को प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष – 2023 में मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट–श्योरानी

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:18:34 IST
Reason: SelfAttested